


न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

..... बनाम
 किस्म मुकदमा मु. नं० वर्ष.....
 27354 33777 225 53 2024

दिनांक	आज्ञा पत्र
22-4-24	<p>अपील दर्ज रजिस्टर हो। वकील अपीलांट को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। वकील अपीलांट की वहस एवं विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अपीलांट द्वारा पेश किये गये दस्तावेज एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील/आदेश/आदेशिका उनवान संजय कुमार वनाम वजरंगलाल राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 74/2024 अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पारित निर्णय दिनांक 01.04.2024 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर में धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अपने द्वारा पेश वाद के साथ पेश किया गया था जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा यह आदेश पारित किया गया कि "पत्रावली का अवलोकन, उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर अप्रार्थी को सुने बिना एकपक्षीय स्थगन दिये जाने के आदेश पारित किये हैं। पत्रावली अभी तलवी हेतु नियत है एवं विचारण न्यायालय के स्तर से धारा 212 प्रार्थना पत्र को अन्तिम रूप से तय नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश अन्तिम आदेश नहीं होकर अन्तरिम आदेश है। यह अपीलांघीन निर्णय की श्रेणी में नहीं आता है। अपीलांट के पास विकल्प था कि विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहकर प्रकरण के गुणावगुण पर अन्तिम निर्णय प्राप्त करते और अन्तिम निर्णय के उपरान्त ही प्रथम अपील इस न्यायालय के समक्ष पेश करते। विचारण न्यायालय में प्रकरण अभी तक तलवी हेतु नियत है। विचारण न्यायालय के समक्ष उक्त प्रकरण के विरुद्ध अपीलांट द्वारा उक्त अपील पेश की गयी है जो अन्तिम आदेश न होकर अन्तरिम आदेश है ऐसा आदेश केस डिसाइडेड की श्रेणी में नहीं आता है।</p> <p>अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से पत्रावली फौसल शूमार होकर नम्बर से कम होकर वाद त्रतीव तकमिल दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: center;">  भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर </p>

